न्यायालय अपर जिला जज, प्रथम, जौनपुर।
उपस्थित–अनिल कुमार यादव, प्रथम (एच०जे०एस०)
सिविल निगरानी सं०–25/2025
सी०एन०आर०सं०– UPJP010010902025

1–सूबेदार पुत्र बलिराम उर्फ बल्लू, निवासी सराययूसुफ, परगना घिसुआ, तहसील मछली शहर, जिला जौनपुर।

.................निगरानीकर्ता

बनाम

1–रामधनी पुत्र विजय बहादुर, निवासी कायस्तान, कस्बा घिसुआ, खास, परगना घिसुआ, तहसील मछली शहर, जिला जौनपुर।

.................विपक्षी

निर्णय

प्रश्नगत सिविल निगरानी अवर न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०) न्यू कोर्ट प्रथम, जौनपुर द्वारा वाद संख्या–29/2019 रामधनी बनाम सुवेदार में पारित आदेश दिनांकित 21.12.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह आधार लिया गया है कि आदेश अदालत मातहत खिलाफ कानून खिलाफ वाकयात है। कोई वजह माकूल वास्ते कायम रहने आदेश अदालत मातहत नहीं है। अदालत मातहत ने तथ्य एवं विधि का सम्यक परिशीलन न करते हुए आदेश पारित करने में सख्त गलती किया है। अदालत मातहत ने पत्रवाली पर उपलब्ध सबूत व सहादत का सम्यक अध्ययन न करते हुए आदेश पारित करने में सख्त गलती किया है। अदालत मातहत ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि दिनाँक 20.08.2024 को प्रार्थनापत्र 83 क की सुनवाई के लिए नियत था और निगरानीकर्ता/मुद्दालेह द्वारा उर्चित आधार पर स्थगन प्राथनापत्र कागज सं०–89 ग दिया गया, जिसकी अनदेखी करते हुए स्थगन प्रार्थनापत्र बिना निस्तारित किये दिनाँक 20.08.2024 को प्रार्थनापत्र स्वीकार करने में सख्त गलती किया है। रिकाल प्रार्थनापत्र कागज सं०–92 ग बिला किसी उचित कारण के निरस्त करने में सख्त गलती किया है, जबकि एक अन्य वाद बावत निरस्तीकरण मोवाहिदानामा विपक्षी सूबेदार द्वारा अदालत सिविल जज(जू०डि०), जौनपुर में बमुकदमा नं०–1286/2019 सूबेदार बनाम रामधनी दाखिल किया गया था, जो अदालत के आदेश से एकजाई हुआ है। अदालत मातहत ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि प्रार्थनापत्र वास्ते जारी करने निषेधाज्ञा कागज सं०–59 ग किस तारीख को व प्रार्थनापत्र वास्ते संशोधन करने अर्जीदावा कागज सं०–83 क किसी तारीख को कितने अंतराल पर दिया गया है कि अनदेखी करते हुए प्रश्नगत आदेश करने में सख्त गलती किया है। स्थगन प्रार्थनापत्र 89 ग की अनदेखी करते हुए दिनाँक 20.08.2024 को प्रार्थनापत्र 83 क स्वीकार करने में सख्त गलती किया है। रिकाल प्रार्थनापत्र 92 ग के बिना सम्यक परिशीलन किये दिनाँक 21.12.2024 को निरस्त करने में सख्त गलती किया है। अन्तरिम प्रार्थनापत्र 59 ग हुकुम इम्तनाई आराजी का प्रार्थनापत्र दिनाँक 03.07.2023 को व तरमीम दरख्वास्त 83 क दिनाँक 20.07.2024 को दी गयी है। अलावा इसके अदालत मातहत ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि मुकदमा मोवाहिद मख्तस का है और वादी/रेस्पाण्डेन्ट न तो विवादित सम्पत्ति का मालिक है न अध्यासित है, परन्तु अवर न्यायालय ने अनदेखी करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित करने में सख्त गलती किया है। अदालत मातहत ने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग न करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया है। अतः अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षी की ओर से संस्थित निगरानी के विरुद्ध आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूर्णतया विधि संगत है। प्रतिवादी/निगरानीकर्ता प्रार्थनापत्र 83 क पर सुनवाई हेतु नियत तिथि को जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। निगरानीकर्ता की ओर से संस्थित निगरानी आधारहीन है। अतः निरस्त की जाए।

उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

Digitally signed by ANIL KUMAR YADAV
Date: 2026.03.31 16:16:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,
Jaunpur.

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मूलवाद सं०–29/2019 रामधनी बनाम सूबेदार की पत्रावली दिनाँक 20.08.2024 को वादी की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र कागज सं०–83 क पर सुनवाई हेतु नियत थी। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र को निरस्त करते हुए न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को सुनवाई हेतु आदेशित किया गया, परन्तु प्रतिवादी सुनवाई हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः न्यायालय द्वारा वादी को सुनने के उपरान्त प्रार्थनापत्र 83 क को स्वीकार किया गया। न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को वापस लिये जाने हेतु प्रतिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र कागज सं०–92 ग प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त दिनाँक 21.12.2024 को निरस्त कर दिया गया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रतिवादी/निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी संस्थित की गयी है। संस्थित निगरानी में निगरानीकर्ता की ओर से आधार लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत स्थगन को बिना निस्तारित किये प्रार्थनापत्र कागज सं०–83 क निस्तारित किया गया है और उसकी ओर से उक्त आदेश रिकाल किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को बिना किसी उचित कारण के खारिज किया गया है। जहाँ तक निगरानीकर्ता की ओर से लिये गये उक्त आधार का प्रश्न है विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/निगरानीकर्ता की ओर से दिनाँक 20.08.2024 को प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र विस्तृत आदेश पारित करते हुए निरस्त किया गया है। निगरानीकर्ता का यह कहना है कि स्थगन प्रार्थनापत्र निस्तारित नहीं किया गया है, पूर्णतया आधारहीन है। पत्रवाली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रतिवादी सुनवाई हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः न्यायालय द्वारा वादी को सुनने के उपरान्त प्रार्थनापत्र 83 क को स्वीकार किया गया। न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को वापस लिये जाने हेतु प्रतिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र कागज सं०–92 ग प्रस्तुत किया गया, जिस पर वादी की ओर से आपत्ति 94 ग प्रस्तुत की गई। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विस्तृत कारण लिखते हुए। प्रतिवादी/निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत रिकाल प्रार्थनापत्र कागज सं०–92 ग निरस्त किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांकित 21.12.2024 में प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने के जो कारण दर्शित किये गये है, पूर्णतया उचित है। प्रतिवादी/निगरानीर्ता द्वारा दिनाँक 20.08.2024 प्रार्थनापत्र कागज सं०–21 क पर सुनवाई हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होकर जानबूझकर लापरवाही बरती गयी है। उक्त परिस्थितियों में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनाँक 21.12.2024 में को विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है। अतः निगरानीकर्ता की ओर से संस्थित निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

निगरानीकर्ता की ओर से संस्थित निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०) न्यू कोर्ट प्रथम, जौनपुर द्वारा वाद संख्या–29/2019 रामधनी बनाम सुवेदार में पारित आदेश दिनांकित 21.12.2024 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति अवर न्यायालय सूचनार्थ प्रेषित की जाये। पत्रवाली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–31.03.2026

(अनिल कुमार यादव, प्रथम)
अपर जिला जज, प्रथम
जौनपुर।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 6112

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–31.03.2026

(अनिल कुमार यादव, प्रथम)
अपर जिला जज, प्रथम
जौनपुर।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 6112